

डॉ० त्यागराजन एस०एम०, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा दि० 24.08.2019 को 10.30 बजे पूर्वा० में समाहरणालय कार्यालय प्रकोष्ठ में बाढ़ 2019 के अवसर पर पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरण के बिन्दु पर आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति

1. जिलाधिकारी, दरभंगा
2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, दरभंगा,
3. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, दरभंगा
4. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, दरभंगा।


2. कार्यवाही

2.1 पी०एफ०एम०एस०

पी०एफ०एम०एस० के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गये/निदेश दिए गये :-


- इस वर्ष 2019 में आयी भीषण बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के निर्देशन में सभी बाढ़ पीड़ितों को जी०आर० के रूप में मो० 6000/- रुपये की राशि सम्पूर्ति पोर्टल में डाटा दर्ज कराकर एन०आई०सी० के माध्यम से पी०एफ०एम०एस० के द्वारा सभी योग्य लाभार्थियों के खाता में राशि भुगतान किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 22.08.2019 को संध्या 07.30 बजे एन०आई०सी०, पटना से सूचना प्राप्त हुई कि 3,874 लोगों को दुबारा (Double) भुगतान हुआ है। इसके संबंध में सूची भी मेल के माध्यम से प्राप्त हुई।
- प्राप्त सूचना के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्काल प्रमुख बैंक के मुख्य प्रबंधक, जैसे-भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ इण्डिया, को दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर सूची मेल किया गया और तत्काल निकासी पर रोक लगाने/राशि पी०एफ०एम०एस० को वापस करने हेतु अनुरोध किया।
- बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के आलोक में तत्संबंधी पूर्ण सूची जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, दरभंगा उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया जाय कि अविलम्ब सूची के अनुसार सभी खाता का सत्यापन करायेंगे कि दुबारा (Double) भुगतान हुआ है या नहीं। यदि दुबारा मो० 6,000/-रुपये खाता में प्राप्त हुआ हो तो अविलम्ब निकासी पर रोक लगाकर उसे पी०एफ०एम०एस० में वापस कराने की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सूची में दर्ज ऐसे खाता जिसमें दुबारा मो० 6,000/- रुपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उन खाताओं पर भी निगरानी रखेंगे। निकट भविष्य में प्राप्त होने वाले दुबारा मो० 6,000/- रुपये के निकासी पर भी रोक लगाते हुए वापस कराने की कार्रवाई करेंगे।
- तकनीकी खराबी के कारण हुए इस मामले में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन संबंधित शाखाओं से संग्रहित कर जिलाधिकारी को देंगे ताकि सरकार की राशि की हानि नहीं होने पायें।
- संबंधित बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी इसकी सूचना भेजते हुए उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाय।
- की गयी कार्रवाई की सूचना एन०आई०सी०, पटना एवं प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को भी भेजी जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही समाप्त हुई।


जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 3608/सी०, लहेरियासराय, दिनांक 25 वीं अगस्त, 2019।

प्रतिलिपि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि संबंधित बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रतिलिपि एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी,
दरभंगा।